रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2010/वैशाख 8, 1932
No. 135] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2010/VAISAKHA 8, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2010

सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, चेन्नै पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी

आदेश

(मार्च, 2010 के 31वें दिन पारित)

यह प्रकरण, चेन्नै पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. सीएचपीटी के वर्तमान दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी दिनांक 7 मार्च, 2006 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था । आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च, 2008 तक प्रदान की थी । उसके बाद दरमान की वैधता, इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर, 2009 द्वारा 31 मार्च, 2010 तक विस्तारित की गई थी ।

3. सीएचपीटी ने अपने दरमारन के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है । प्रस्ताव से उभरने वाले विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं जो जांच-पड़ताल के अधीन हैं । परामर्शी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया जाना है । इसलिए, इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार-विमर्श के लिए इस प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा । इस बीच में, सीएचपीटी ने दिनांक 25 मार्च, 2010 के अपने पत्र के माध्यम से इस प्राधिकरण से, वर्तमान दरमान की वैधता को 1 अप्रैल, 2010 से 6 माह की और अवधि के लिए विस्तार प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

4. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो रही है और प्रकरण को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए यह प्राधिकरण सीएचपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 30 सितम्बर, 2010 तक या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है ।

5. 1 अप्रैल, 2008 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो वह निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

रानी जाधव, अध्यक्षा
[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2010

No. TAMP/36/2005-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/36/2005-CHPT

ORDER

(Passed on this the 31st day of March, 2010)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/36/2005-CHPT dated 7th March, 2006. The Order prescribed the validity of the SOR till 31st March, 2008. Subsequently, the validity of the SOR was extended by this Authority till 31st March, 2010 *vide* Order dated 23rd October, 2009.

3. The CHPT has filed its proposal for revision of its SOR. Additional information/clarifications requested on various points emerging from the proposal are furnished by the port which is under scrutiny. Joint hearing as part of the consultation process is to be set up. It may, therefore, take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority. In the meanwhile the CHPT *vide* its dated 25th March, 2010 has requested this Authority to extend the validity of the existing SOR for a further period of six months from 1st April, 2010.

4. Since the validity of the existing SOR expires on 31st March, 2010 and recognising the time required for finalising the case this Authority extends the validity of the existing SOR of the CHPT till 30th September, 2010 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. Additional surplus, if any, over and above the admissible cost and permissible return for the period post 1st April, 2008 will be adjusted fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.